न्यायलय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
8/6/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट बुडीबावल में पेश हुई। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। आदेश ग्राम पंचायत बुडीबावल दिनांक 20.9.2007 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1232/2173 रकबा 1-10 बीघा वाके ग्राम बुडीबावल तहसील कोटकासिम में प्रमाणित पुत्र हरिराम के स्थान पर प्रमाणित पुत्र [illegible] दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। रूबकार जारी हो। पत्रावली [illegible] लौटाई जावे तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner